पत्र संख्या-स्था-2-सामान्य-78-ज्येष्ठता सूची / 869 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,

(स्थापना-अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: 12, जून-2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-विभिन्न स्रोतों से भर्ती किये गये वाणिज्य कर अधिकारी की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2012 दिनांक 13-05-2012 के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था-2/पदोन्नति/असि0कमि0/2010-11 व 2011-12 /526/ वाणिज्य कर दिनांक 17-05-2012 के द्वारा विभिन्न स्रोतों से भर्ती किये गये वाणिज्य कर अधिकारी के पदों पर तैनात कार्मिकों की इस कार्यालय के पत्रांक-2024 दिनांक 02-08-1989(जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक-1 से 738 तक वाणिज्य कर अधिकारी अंकित है, इस कार्यालय के पत्रांक-1622 दिनांक 10-09-97(जिसमें क्रमांक-739 से 1063 तक नाम अंकित है तथा इस कार्यालय के पत्रांक-स्था-2-सामान्य-78/ज्येष्ठता सूची/1027/वाणिज्य कर दिनांक 08-07-2008 (जिसमें क्रमांक-1064 से 2168 तक) एवं पत्रांक-स्था-2-3721 दिनांक 11-01-2011(जिसमें ज्येष्ठता क्रमांक-2169 से ज्येष्ठता क्रमांक-2720 तक वाणिज्य कर अधिकारी अंकित है)द्वारा प्रकाशित ज्येष्ठता सूचियाँ इस आशय से निर्गत की गयी थी, कि उक्त ज्येष्ठता सूचियों में यदि ज्येष्ठता संशोधन नियमावली-2007 के अन्तर्गत **नियम-8 क** का लाभ प्राप्त कर कोई कार्मिक सम्मिलित हो गया हो तो उसके सम्बन्ध में प्रभावित कार्मिक अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। विभाग के वाणिज्य कर अधिकारियों को सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर एवं सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर तथा मुख्यालय के अनुभाग अधिकारियों के माध्यम से उक्त ज्येष्ठता सूचियाँ प्रसारित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त ज्येष्ठता सूचियों को विभाग की वेवसाइट **www.comtax.up.nic.in** पर भी उपलब्ध कराया गया था। उक्त ज्येष्ठता सूचियां निर्गत करते हुए सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर उ0प्र0 के माध्यम से आपत्तियां मांगी गयी थी, जिसके अनुपालन में विभाग के अग्रेतर पैरा में उल्लिखित वाणिज्यकर अधिकारियों से आपत्तियाँ प्राप्त हुई है। इन आपत्तियों पर भलीभांति विचारोपरान्त इनका निस्तारण करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निम्नप्रकार संशोधन किया जाता है :-

(क) **श्री राज नारायण** का नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 के क्रमांक-1829 पर नाम अंकित है, इनके द्वारा अपना नाम **श्री राज नारायण** के स्थान **राज नारायण यादव** अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके समर्थन में प्रमाण स्वरुप सेवापुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है। श्री राज नारायण, वाणिज्य कर अधिकारी के सेवा अभिलेखों के आधार पर ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-1829 पर उल्लिखित नाम **श्री राज नारायण** के स्थान पर **श्री राज नारायण यादव** संशोधित किया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(ख) कुमारी ज्योत्सना सिंह कुशवाहा, वाणिज्य कर अधिकारी कन्ट्रोल रुम मुख्यालय के प्रार्थना पत्र दिनांक 18-05-2012 द्वारा अनुरोध किया गया है कि ज्येष्ठता सूची में कोई विवाद नही है। उनका शिथिलीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। इस प्रकार कुमारी कुशवाहा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ज्येष्ठता सूची में संशोधन का कोई अनुरोध न किये जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं पायी गयी है।

(ग) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर इलाहाबाद के पत्रांक -409 दिनांक 23-05-2012 द्वारा **श्री अखिलेश कुमार दुबे,** वाणिज्य कर अधिकारी की आपत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें यह अनुरोध किया

गया है कि उनका नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 में क्रमांक-1922 पर **श्री अखिलेश कुमार दुबे** के स्थान पर **श्री अखिलेख कुमार दुबे** त्रुटिपूर्ण ढंग से टंकित हो गया है, जिसका संशोधन किया जाना चाहिए। श्री दुबे की आपत्ति कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उचित पायी गई। अतः ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 में क्रमांक-1922 पर अंकित **श्री अखिलेख कुमार दुबे** के स्थान पर **श्री अखिलेश कुमार दुबे** संशोधित किया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(घ) **श्री जय प्रकाश मौर्य,** वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-8 इलाहाबाद के प्रार्थना पत्र दि0 21-05-2012 द्वारा अनुरोध किया गया है कि दिनांक 08-07-2008 को जारी ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2066 पर उनका गृह जनपद "**सन्त रविदास नगर**" के स्थान पर "**सन्तकबीर नगर**" अंकित हो गया है। श्री मौर्य की व्यक्तिगत पत्रावली की जॉच करने पर पाया गया कि उनका गृह जनपद **संत रविदास नगर** (भदोही) है। ऐसी स्थिति में श्री मौर्य की आपत्ति उचित है। अतः ज्येष्ठता सूची दि0 08-07-2008 के क्रमांक-2066 पर अंकित श्री जयप्रकाश मौर्य, वाणिज्य कर अधिकारी का गृहजनपद "**संत कबीर नगर**" के स्थान पर "**संत रविदास नगर (भदोही)**" संशोधित किया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(च) ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर सहारनपुर संभाग-ए के पत्रांक-77 दि023-05-2012 द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी की ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 में क्रमांक-2363 पर अंकितगृह जनपद संशोधन के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त हुई है। श्री अखण्ड प्रताप सिंह का **गृह जनपद बदायूँ है,** जबकि ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 में उनका **गृह जनपद बरेली** त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित हो गया है। सेवापुस्तिका के अनुसार ज्येष्ठता सूची में श्री अखण्ड प्रताप सिंह का **गृह जनपद बदायूँ** है। इस सम्बन्ध में श्री अखण्ड प्रताप सिंह की व्यग्तिगत पत्रावली की जॉच करने पर पाया गया कि श्री सिंह का गृह जनपद बदायूँ है। अतः ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 के क्रमांक-2363 पर अंकित श्री अखण्ड प्रताप सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी का **गृह जनपद बरेली** के स्थान पर **बदायूँ** संशोधित किया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(छ) श्री देवेश कुमार तिवारी, तत्कालीन वाणिज्य कर अधिकारी सम्प्रति असिस्टेंट कमिश्नर सचल दल मेरठ के प्रार्थना पत्र दिनांक 11-05-2012 द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक-3189 दिनांक 26-12-2011 के अनुपालन में अपना नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 के क्रमांक-1751 के स्थान पर क्रमांक-1743 पर अवस्थित करने का अनुरोध किया गया है। श्री तिवारी का नाम अन्नतिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 के ज्येष्ठता क्रमांक-1751 पर अंकित है। श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका वर्ष 1998 बैच में रिशफलिंग के आधार पर आयोग के माध्यम से चयन होकर वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर दिनांक 07-04-2001 को नियुक्ति की गयी हैं। शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4576 / 11-3-2010-19/10 दि0 17-06-2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि तिवारी के प्रत्यावेदन के अनुसार पुनर्विचार करते हुए आयोग की श्रेष्ठता सूची में निर्धारित स्थान के आधार पर उनकी ज्येष्ठता का अवधारण किया जाना चाहिए। इसके क्रम में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से प्राप्त मेरिट लिस्ट के आधार पर श्री तिवारी की ज्येष्ठता, ज्येष्ठता सूची दि0 08-07-2008 के क्रमांक-1742 पर अंकित श्री उत्तम कुमार तिवारी के नीचे तथा ज्येष्ठता क्रमांक-1743 पर अंकित श्री राजेश कुमार के ऊपर निर्धारित करते हुए उन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-1743 पर अवस्थित करने का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार उक्त संशोधन के फलस्वरुप श्री राजेश कुमार का नाम ज्येष्ठता क्रमांक-1743 के स्थान पर 1744 पर अवस्थित किया जाता है। तद्नुसार आगे के क्रमांक बढ़ते क्रम में रहेगें। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(ज) श्रीमती स्वाति जायसवाल, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-10 लखनऊ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 22-05-2012 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इनका नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 के क्रमांक-2352 पर अंकित है । इन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि उनके क्रमांक के ऊपर शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के अनुपालन में नियम 8-क से आच्छादित कार्मिकों को उनके नाम के नीचे अवस्थित किया जाय । श्रीमती जायसवाल द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में नियम 8-क के अनुसार पारिणामिक ज्येष्ठता प्राप्त कर प्रोन्नत किसी वाणिज्य कर अधिकारी के नाम व ज्येष्ठता क्रमांक इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है । कार्यालय ज्ञाप संख्या-3721 दि0 11-01-2011 से प्रकाशित वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में सीधी भर्ती व पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को उनके कोटे की रिक्ति / रोस्टर के अनुसार चक्रानुक्रम में रखा गया है । इसमें सीधी भर्ती, लिपिक संवर्ग से पदोन्नत प्राप्त, आशुलिपिक संवर्ग से पदोन्नत प्राप्त व संख्या संवर्ग से पदोन्नत प्राप्त वाणिज्य कर अधिकारियों को उनके संवर्ग हेतु निर्धारित कोटा के अनुरुप स्थान प्रदान किया गया है । श्रीमती स्वाति जायसवाल सीधी भर्ती 2004 (विशेष) से चयनित वाणिज्य कर अधिकारी हैं व इन्हें वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011में क्रमांक-2352 पर रखा गया है । पूर्व के ज्येष्ठता क्रमांकों पर अवस्थित अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारियों को प्रो0डी0पी0सी0-2005 तथा प्रो0डी0पी0सी0-2006 के परिणाम स्वरुप क्रमश: दिनांक 09-07-2007 तथा दि0 31-01-2008 को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है । इस प्रकार श्रीमती जायसवाल के ज्येष्ठता क्रमांक के पूर्व कोई कार्मिक नियम 8-क के अनुसार पारिणामिक ज्येष्ठता प्राप्त कर अवस्थित होना नहीं पाया गया । ऐसी स्थिति में श्रीमती जायसवाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति / प्रार्थना पत्र निराधार एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है । अतएव श्रीमती जायसवाल की आपत्ति निक्षेपित की जाती है ।

(झ) श्री मोहन चन्द्र जोशी, वाणिज्य कर अधिकारी कन्ट्रोल रुम वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23-05-2012 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इनका नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 के क्रमांक-2716 पर अंकित है । इस क्रमांक के ऊपर शासनादेश दिनांक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के अनुपालन में नियम 8-क से आच्छादित कार्मिकों को उनके नाम के नीचे अवस्थित किया जाय । श्री जोशी प्रो0डी0पी0-2008 के परिणाम स्वरुप दिनांक 05-02-210 को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर नियुक्त हुये हैं तथा वह संख्या के पोषक संवर्ग से पदोन्नत हुए हैं । श्री जोशी के ज्येष्ठता क्रमांक के पूर्व संख्या के पोषक संवर्ग से अनुसूचित जाति / जनजाति का कोई कार्मिक उक्त डी0पी0सी0-2008 के परिणाम स्वरुप अवस्थित नहीं है । ऐसी स्थिति में श्री जोशी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति निराधार एवं तथ्यों पर आधारित नहीं है । अतएव श्री जोशी की आपत्ति निक्षेपित की जाती है ।

(य) **श्री अनिल दीक्षित,** जिनका ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 के क्रमांक-1929 पर नाम अंकित है, के द्वारा अपनी जन्मतिथि 08-08-1964 के स्थान **दि0 08-08-68** अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया है । इसके लिए प्रमाण स्वरुप सेवापुस्तिका की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी है। इसकी जॉच श्री दीक्षित के कार्यालय अभिलेखों से किये जाने पर पाया गया कि **श्री अनिल दीक्षित** की वास्तविक जन्मतिथि **08-08-68** है । अत: अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दि0 08-07-2008 के क्रमांक-1929 पर श्री अनिल दीक्षित की जन्मतिथि 08-08-1964 के स्थान पर दि0 08-08-1968 संशोधित की जाती है । तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है ।

(2) वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची कई खण्डों में जारी की गई है । इन अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची दिनांक 02-08-1989 व दिनांक 10-09-1997, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में नियम 8-क के अन्तर्गत दि0 14-09-2007 को किये गये संशोधन के पूर्व जारी की गई है । अत: ज्येष्ठता सूची दिनांक 02-08-1989 व दिनांक 10-09-1997 नियम-8-क से प्रभावित नही है । उक्त

ज्येष्ठता सूची दिनांक 02-08-1989 व दिनांक 10-09-1997 में ज्येष्ठता क्रमांक परिवर्तन / संशोधन हेतु कोई आपत्ति / प्रार्थना पत्र भी किसी अधिकारी से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उक्त ज्येष्ठता सूचियों से आच्छादित क्रमांक 01 से 1063 अन्तिम ज्येष्ठता सूची यथावत रखी जाती है।

(3) वाणिज्य कर अधिकारियों की दिनांक 08-07-2008 को जारी ज्येष्ठता सूची **(जिसमें क्रमांक 1064 से 2169 तक नाम अंकित हैं)** उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार तथा **सीमित विभागीय परीक्षा** द्वारा भर्ती वाणिज्य कर अधिकारियों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में दि0 08-01-2008 को **मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव बनाम उ0 प्रदेश राज्य व अन्य [2008 (3) SCC-148]** नामक सिविल अपील के निर्णय के अनुपालन में जारी की गई है। इस सूची के अन्तिम ज्येष्ठता क्रमांक-2168 पर श्रीमती चन्द्र कान्ता का नाम अवस्थित है, जो दिनांक 04-03-2006 को प्रो0डी0पी0सी0 के आधार पर पदोन्नति हुई है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में नियम 8-क को उक्त नियमावली, के तृतीय संशोधन 2007 के द्वारा दि0 14-09-2007 को जोड़ा गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में जांच पर दिनांक 08-07-2008 की उक्त ज्येष्ठता सूची उक्त नियम-8-क से प्रभावित न होनी पाई गई। इस ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक परिवर्तन / संशोधन हेतु सीधी भर्ती वर्ष 1998 से चयनित अधिकारी श्री देवेश कुमार तिवारी (ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 में आवंटित क्रमांक-1751, जिन्हें ज्येष्ठता क्रमांक-1743 प्रस्तावित किया गया है) को छोड़कर अन्य किसी आपत्ति / प्रार्थना पत्र के अभाव में उक्त ज्येष्ठता सूची में आवंटित क्रम अन्तिम ज्येष्ठता सूची में यथावत रखने योग्य है।

(4) ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2169 से 2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिकों की डी0पी0सी0 वर्ष 2004 से वर्ष 2006 से सम्बन्धित है तथा इसके आधार पर पदोन्नति प्राप्त कार्मिकों द्वारा दि0 20-09-2006 से दि0 31-01-2008 के मध्य कार्यभार ग्रहण किया गया है। इस ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-2169 से 2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में परीक्षण पर पाया गया कि इन कार्मिकों द्वारा नियम 8-क के अन्तर्गत पारिणामिक ज्येष्ठता प्राप्त कर प्रोन्नति नहीं पाई गई है। इस प्रकार दिनांक 11-01-2011 की उक्त ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-2169 से 2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिकों की ज्येष्ठता नियम-8-क से प्रभावित न होना पाया गया तथा ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-2169 से 2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिकों से ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता क्रमांक परिवर्तन / संशोधन हेतु कोई आपत्ति / प्रार्थना पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2169 से 2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिकों की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई विवाद न होना स्पष्ट होता है तथा ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2310 तक स्थान प्राप्त कार्मिको की अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त क्रम में रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।

(5) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 2311 से 2558 तक सीधी भर्ती 2004 (विशेष) चयन एवं सीधी भर्ती-2005 तथा प्रो0डी0पी0सी0-2007 के अधिकारियों के नाम अंकित किये गये हैं, जिनमें आरक्षित वर्ग का कोई भी अधिकारी सम्मिलित नहीं है। अत: इस क्रमांक 2558 तक परिणामी ज्येष्ठता का कोई प्रभाव नहीं दृष्टिगत होता है। केवल श्री संजय कुमार सिंह गौतम, जिनका नाम मुख्यालय के आदेश संख्या-4066 दिनांक 08-02-2011 से ज्येष्ठता क्रमांक-**2387** ए पर रखे जाने विषयक आदेश हुये हैं, को वर्तमान में जारी ज्येष्ठता सूची के ज्येष्ठता क्रमांक-**2388** पर रखते हुए आगे के सभी क्रमांक को तद्नुसार बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(6) ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2559 से 2574 तक अनुसूचित जाति / जनजाति के अधिकारी हैं, जिसमें से श्रीमती रेखा रानी को छोड़कर अन्य सभी कार्मिकों द्वारा लिपिक संवर्ग में नियुक्ति के पद पर वर्ष 1975 में कार्यभार ग्रहण किया गया है। इनसे वरिष्ठ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पदोन्नति का लाभ देते हुए ज्येष्ठता सूची में पहले स्थान प्राप्त हो चुका है। अतः इस क्रमांक 2574 तक किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार क्रमांक 2575 से 2596 तक प्रो0डी0पी0सी0 2007 के अधिकारियों के नाम अंकित किये गये हैं। इसके बाद क्रमांक-2597 व 2598 पर अनुसूचित जाति वर्ग के संख्या संवर्ग में वर्ष 1975 में नियुक्त कार्मिकों के नाम रखे गये हैं, जो उचित है। क्रमांक-2599 पर स्थान प्राप्त श्री विजय कुमार सक्सेना का उनके पोषक संवर्ग लिपिक में ज्येष्ठता क्रमांक 340 है व उनकी नियुक्ति वर्ष 1974 में हुई है तथा डी0पी0सी0 2007 के फलस्वरुप उन्होंने भी दि0 19-05-09 को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है, का नाम लिपिक संवर्ग से प्रोन्नत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार (लिपिक संवर्ग का ज्येष्ठता क्रमांक-344) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में आवंटित क्रमांक-2530 के पूर्व रखा जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। वर्तमान स्थिति के अनुसार चूँकि पूर्व में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में एक नया नाम ज्येष्ठता क्रमांक- 2388 पर श्री संजय कुमार सिंह गौतम का नाम अन्तिम प्रकाशित होने वाली ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है इसलिए बढ़ते क्रम में ज्येष्ठता में संशोधन के कारण समिति की संस्तुति में स्व0श्री विजय कुमार सक्सेना को ज्येष्ठता क्रमांक-2529 पर रखे जाने की संस्तुति में संशोधन करते हुए तद्नुसार **श्री विजय कुमार सक्सेना को ज्येष्ठता क्रमांक-2530 पर रखे जाने** का निर्णय लिया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(7) मुख्यालय के आदेश संख्या-4066 दिनांक 08-02-2011 से जारी आदेश के द्वारा ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 के क्रमांक-2616 पर अंकित श्री अमित कुमार जैन का नाम अभिलेखों के अनुसार श्री अनिल कुमार जैन होना चाहिए।। वर्तमान स्थिति के अनुसार चूँकि पूर्व में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में एक नया नाम ज्येष्ठता क्रमांक- 2388 पर श्री संजय कुमार सिंह गौतम का नाम अन्तिम प्रकाशित होने वाली ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है इसलिए बढ़ते क्रम में ज्येष्ठता में संशोधन के कारण समिति की संस्तुति में श्री अनिल कुमार जैन को ज्येष्ठता क्रमांक-2616 पर रखे जाने की संस्तुति में संशोधन करते हुए तद्नुसार **श्री अनिल कुमार जैन को ज्येष्ठता क्रमांक-2617 पर अवस्थित करते हुए** अन्तिम रुप से जारी होने वाली ज्येष्ठता सूची में " **श्री अमित कुमार जैन** " के स्थान पर "**श्री अनिल कुमार जैन** "संशोधित किये जाने का निर्णय लिया जाता है। तद्नुसार संलग्न ज्येष्ठता सूची में संशोधन कर दिया गया है।

(8) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2600 से क्रमांक 2684 तक का परीक्षण किया गया। इसमें सीधी भर्ती वर्ष 2006 व डी0पी0सी0 2008 से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के नाम शामिल किये गये है। इस सूची में सामान्य वर्ग की अन्तिम स्थान प्राप्त अभ्यर्थिनी श्रीमती स्निग्धा घोष की पोषक लिपिक संवर्ग में नियुक्ति वर्ष 1975 में होना स्पष्ट है। इसी प्रकार क्रमांक 2668 से 2684तक आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति पोषक संवर्ग में वर्ष 1975 में होना स्पष्ट है। उक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता निर्धारण में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है।

(9) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 11-01-2011 में क्रमांक-2685 से अन्तिम क्रमांक 2720 तक का परीक्षण किया गया। इसमें आरक्षित वर्ग के डी0पी0सी0 2008 से पदोन्नति प्राप्त लिपिक, आशुलिपिक व संख्या संवर्ग के अधिकारियों के नाम शामिल किये गये है। इसमें (क्रमांक-2685 से अन्तिम क्रमांक 2720 तक) सामान्य वर्ग का कोई अभ्यर्थी शामिल नहीं है। इनका परीक्षण करने पर इनकी ज्येष्ठता निर्धारण में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है।

(10) डिप्टी कमिश्नर(स्थापना-अराजपत्रित)वाणिज्य कर, मुख्यालय के पत्रांक-903 दिनांक 22-05-2012 द्वारा प्राप्त करायी सूचना के अनुसार ज्येष्ठता सूची दिनांक 08-07-2008 (जो ज्येष्ठता क्रमांक-2168तक है) में नियम-8-क से आच्छादित ज्येष्ठता से सम्बन्धित कोई कार्मिक चिन्हित नही किया गया है।

अतः उपर्युक्तानुसार प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्ताकरण करते हुए वर्णित तथ्यों के आधार पर वाणिज्य कर अधिकारी की पूर्व में जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूचियों (ज्येष्ठता क्रमांक-01 से ज्येष्ठता क्रमांक-2720 तक) में एतद्द्वारा उपर्युक्तानुसार संशोधन करते हुए उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-9(4) के अन्तर्गत संलग्नक-01 के अनुसार क्रमांक-01 से क्रमांक-2721तक वाणिज्य कर अधिकारी की अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जा रही है। यह अन्तिम ज्येष्ठता सूची उक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण / पदोन्नति आदि कार्यवाही के लिए विधिमान्य होगी।

<u>संलग्नक : उपरोक्तानुसार।</u>

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त -</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 / 3 उत्तर प्रदेश शासन।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि ज्येष्ठता सूची की एक-एक प्रति उन समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों पर तामील कराने का कष्ट करें, जिनके नाम ज्येष्ठता सूची में अंकित है।

4- ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, लखनऊ / इलाहाबाद / गाजियाबाद।

5- असिस्टेंट कमिश्नर (कम्प्यूटर) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची की एक प्रति विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे ज्येष्ठता सूची की एक-एक प्रति उन समस्त वाणिज्य कर अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिनका नाम ज्येष्ठता सूची में अंकित है।

7- समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय बेबसाइट www.comtax.up.nic.in पर उपलब्ध है।

8- स्था-2 पटल को 50 प्रतियाँ।

12/06/2012

(नर सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।